Fourteenth Loksabha

Session : 5
Date : 29-08-2005

Participants : Mohale Shri Punnulal

>

Title : Need to provide special package to Chhattisgarh for maintaining its forest-based economy.

श्री पुन्नू लाल मोहले (बिलासपुर) : महोदय, यह सर्वविदित है कि पर्यावरण संतुलन, हमारे देश में जहां आज भी बहुसंख्य लोग प्रकृति आधारित अर्थव्यवस्था पर जीवन यापन कर रहे हों, अत्यंत आवश्यक है।

अध्यक्ष महोदय, मैं छत्तीसगढ़ राज्य से आता हूं। मेरा राज्य अनुसूचित जाति व जनजाति बहुल राज्य है। हमारे यहां 42 प्रतिशत वन क्षेत्र है जबकि राट्रीय वन नीति 33 प्रतिशत वन क्षेत्र की वकालत करती है। निसंदेह पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में हमारे 42 प्रतिशत वन क्षेत्र का अत्यंत महत्व है और इसे बचाए रखना आवश्यक है। परन्तु यह भी देखना होगा कि इस कार्य के कारण हमारे नागरिकों, विशेाकर हमारी 32 प्रतिशत अनुसूचित जनजातियों के विकास पर जो विपरीत प्रभाव पड़ रहा है उसे कौन मुआवजा देगा। इससे छत्तीसगढ़, झारखंड, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर पूर्व के राज्यों के विकास कार्यक्रम प्रभावित हो रहे हैं।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय ने भी वन धारित राज्यों को अपने वन संरक्षण के बदले में विशेा पैकेज देने का आदेश दे रखा है। मा0 सर्वोच्च न्यायालय के आदेश 2003 के अनुसार विकसित राज्यों ने पर्यावरण संतुलन बिगाड़ा है, इसकी भरपाई करने वाले वनधारित राज्यों को भी बदले में विशेा मुआवजा पैकेज दिया जाना चाहिए जिससे कि वे राज्य वनसंरक्षण में गंभीर रहें और साथ ही ऐसे राज्य पैकेज के माध्यम से मिली धनराशि से अपने वनवासियों और अन्य नागरिकों का विकास कर सकें।

अतः केंद्र सरकार से अनुरोध है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश का अनुपालन कराकर विकसित राज्य द्वारा वनधारित छत्तीसगढ़ राज्य सहित अन्य राज्यों को विशेा पैकेज मुहैया कराया जाए।